



श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

जोबनेर, जिला जयपुर (राज.) 303329

फोन नं. 01425-254022 (का.), ई-मेल: dean.skncoa@sknau.ac.in

वेबसाइट: https://skncoa.sknau.ac.in



डॉ. एम. आर. चौधरी

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष (कृषि)

No. F. ()/NSS/SKNCOA/2025/ 1049

Date: 21.08.2025

22

कार्य आदेश

M/s Modish Tractor Aur Kisan Pvt. Ltd.
A.R. Tower, Plot No. A1 & A2, 3rd Floor
Ajmer Road, Near Ajmer Pulia, Near Sun N Moon Chambers
Gopalbari, Jaipur - 302007
Email: gem@balwaan.com

विषय: विभिन्न प्रकार के Brush Cutter with Attachment की आपूर्ति बाबत

संदर्भ: कोटेशन क्रमांक NSS/SKNCOA/2025/10 दिनांक 02.08.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपकी फर्म की माल की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन की दरें कम पाई जाने एवं कोटेशन हेतु गठित उपापन समिति की सिफारिश एवं अधिष्ठाता द्वारा दर अनुमोदन आदेश उपरांत आपको निम्नानुसार दरों पर श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के निम्नलिखित विभाग में महाविद्यालय कोटेशन की शर्तों के अनुसार फर्म को माल की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन का कार्य-आदेश दिया जाता है।

S. No.	Item Description	Department Name (विभाग)	Qty.	Amount/Item with GST	Total Amount with GST
1.	Brush Cutter with Attachment	National Service Scheme	08 Nos.	11,900.00	95,200.00

नोट: कोटेशन प्रपत्र की सभी शर्तों के साथ RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 पूर्ण रूप से लागू होकर कोटेशन के अनुसार RTPP नियम 2013 का नियम 29 (ज) आप पर पूर्वतया प्रभावी रहेगा। महाविद्यालय में सामग्री आपूर्ति का कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

1.	माल की आपूर्ति का कार्य	कार्य आदेश की दिनांक से 15 दिवस में
2.	बिल:	अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के नाम से

शास्ति: विलंब से आपूर्ति पर निम्न प्रकार से शास्ति वसूली जायेगी:

Penalty: Penalty will be collected on late supply in the following manner:

अ.	निर्धारित अवधि से 1/4 अवधि विलम्ब पर Delay up to one-fourth period of the prescribed Delivery Period	2.5%
ब.	1/4 अवधि से अधिक आधी अवधि तक विलम्ब पर Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribe Delivery Period	05%
स.	1/2 अवधि से अधिक तीन चौथाई तक अवधि तक विलम्ब पर Delay exceeding half but not exceeding three-fourth of the prescribe Delivery Period	7.5%
द.	3/4 अवधि से अधिक विलम्ब होने पर Delay exceeding three-fourth of the prescribed period	10%

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
2. संयोजक एवं सदस्य, निविदा समिति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
3. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
5. अनुभाग अधिकारी, लेखा शाखा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
6. इंचार्ज सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि इसको विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड करावे।
7. रक्षित पत्रावली

1. Significance

प्रभारी, राष्ट्रीय सेवा योजना